



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा त्रयोदश सत्र अंक-10

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022
(चैत्र 1, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 15 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विद्यारतन भसीन के स्थान पर श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य अधिकृत रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने सदन की समिति से जांच कराये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की जांच समिति से जांच कराये जाने की घोषणा की।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने अपने प्रश्न क्रमांक 10 में टंकण त्रुटि होने की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। मैंने मूल प्रश्न की सूचना, जो माननीय सदस्य की ओर से प्राप्त हुई, है उसका अवलोकन किया। प्रश्न में कोई टंकण त्रुटि नहीं है, जिस संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी है, उसी रूप में मुद्रित हुआ है।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021-22 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा
- (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक),

पटल पर रखे ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 63 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

माननीय उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि 01 से 04 तक की सूचना ली जावेगी ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.14 बजे स्थगित की जाकर 12.20 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

- (1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने बिलासपुर जिले के ग्राम अरईबंद के कृषकों की कृषि भूमि तथा शासकीय सुखरा नाले को भू-माफिया द्वारा समतल किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (2) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर में अरपा नदी में अपशिष्ट जल निकासी के लिये नाला निर्माण नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य ने हाऊसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक, भिलाई की जमीन के विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (4) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने बस्तर क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए!)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद 5 से 63 तक के उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक

सदस्य

5.

श्री अजय चन्द्राकर

6. श्री नारायण चंदेल
7. सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर
10. श्री नारायण चंदेल
11. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,
12. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा
13. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा
14. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा
15. सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा
16. श्री संतराम नेताम
17. श्री संतराम नेताम
19. श्री नारायण चंदेल
20. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
21. श्रीमती इन्दू बंजारे
22. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह
23. डॉ. के.के.ध्रुव
24. श्री ननकीराम कंवर
25. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
26. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
27. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक
28. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल
29. श्री सौरभ सिंह
30. श्री रामकुमार यादव
31. श्री नारायण चंदेल
32. सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर
33. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
34. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
36. श्री सौरभ सिंह
37. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
38. श्री सौरभ सिंह
39. सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर
40. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शिवरतन शर्मा
42. श्री नारायण चंदेल

44. श्री सौरभ सिंह
45. सर्वश्री ननकीराम कंवर, धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल
46. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, सौरभ सिंह
47. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
49. श्री संतराम नेताम
50. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
51. श्री चंदन कश्यप
52. श्री अरूण वोरा
53. श्री सत्यनारायण शर्मा
54. श्री सत्यनारायण शर्मा
55. श्री संतराम नेताम
57. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रजनीश कुमार सिंह, सौरभ सिंह
58. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह
59. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल
60. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
61. श्री नारायण चंदेल
62. श्री शैलेश पाण्डेय
63. सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई

मानी गई :-

1. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
2. श्री शैलेश पाण्डेय
3. श्री कुलदीप जुनेजा
4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
5. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
6. श्री सौरभ सिंह
7. श्री संतराम नेताम
8. डॉ. रमन सिंह
9. श्री अरूण वोरा
10. श्री चंदन कश्यप

11. श्री बघेल लखेश्वर
12. श्री पुन्नूलाल मोहले
13. श्री गुलाब कमरो
14. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
15. श्री दलेश्वर साहू
16. श्री रामकुमार यादव
17. श्री धरमलाल कौशिक
18. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव
19. श्री ननकीराम कंवर
20. श्रीमती इन्दू बंजारे
21. डॉ. प्रीतम राम
22. श्री अमितेष शुक्ल
23. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
24. श्री वृजमोहन अग्रवाल
25. श्री रजनीश कुमार सिंह
26. श्रीमती ममता चन्द्राकर
27. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
28. श्री नारायण चंदेल
29. श्री अजय चन्द्राकर

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढी हुई मानी गई :-

- (1) श्री विनय कुमार भगत
- (2) श्री शैलेश पाण्डेय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विनियोग विधेयक 5.00 बजे तक पारित करने का नियम है। विनियोग विधेयक पर 14 सदस्यों के नाम हैं और मुख्यमंत्री जी का जवाब भी आना है। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, नारायण चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शैलेश पाण्डेय, धर्मजीत सिंह, संतराम नेताम,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, प्रमोद कुमार शर्मा,

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. विनियोग विधेयक के पारण हेतु समय वृद्धि की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 (2) के अनुसार विनियोग विधेयक को 5.00 बजे तक पारित किया जाना है। चूंकि अभी विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए मैं नियम को शिथिल करते हुए विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने के बाद विनियोग विधेयक के पारण का समय निर्धारित करता हूं तथा आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति दी गई।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4सन् 2022) पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।**

(2) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -1 सन् 2022)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -1 सन् 2022) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेश पाण्डेय, सौरभ सिंह, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव,

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -1 सन् 2022) पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।**

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -3 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -3 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सौरभ सिंह, रामकुमार यादव,

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 77 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक -3 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

10. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

- (1) माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरुद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 ,
- (2) माननीय श्री धनेन्द्र साहू सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास आडिया एवं श्री अंबरीश आडिया के विरुद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020,

पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

- (1) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23/10/2020 ।
- (2) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 30/2022 दिनांक 07/03/2022 ।
- (3) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 31/2022 दिनांक 14/03/2022 ।

विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

12. नियम 239 के अंतर्गत विचाराधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020 मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

13. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित कि वर्ष 2021 के उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों का चयन किया गया है :-

उत्कृष्ट विधायक के रूप में

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. सत्ता पक्ष से - | श्री संतराम नेताम |
| 2. प्रतिपक्ष से - | श्री अजय चन्द्राकर |

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. प्रिंट मीडिया - | श्री यशवंत धोटे, दैनिक नव प्रदेश |
| 2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - | श्री जुल्फिकार अली, हिन्दी खबर |
| 3. कैमरामेन - | श्री शशिकांत वर्मा, हिन्दी खबर |

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

14. जांच समिति की घोषणा

(1) माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि "शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी" विषयक श्री बघेल लखेश्वर द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-3, क्रमांक-978 दिनांक 14 मार्च, 2022 पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उक्त प्रकरण से संबद्ध विषयों पर अनियमितता की जांच सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा की गई थी।

इस हेतु सदन की जांच समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. श्री संतराम नेताम
2. श्री दलेश्वर साहू
3. श्री गुलाब कमरो
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री रजनीश कुमार सिंह

श्री संतराम नेताम, सदस्य इस समिति के सभापति होंगे।

समिति आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि "कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड /डीबार/प्रतिबंधित किया जाना" विषयक श्री धरमलाल कौशिक द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-13, क्रमांक-1419 दिनांक 22 मार्च, 2022 पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उक्त प्रकरण से संबद्ध विषयों की जांच सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा की गई थी।

इस हेतु सदन की जांच समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री लखेश्वर बघेल
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री नारायण चंदेल
5. श्री सौरभ सिंह

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य इस समिति के सभापति होंगे ।

समिति आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

15. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए क्रमशः नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि चारों समितियों के लिए क्रमशः नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, तदनुसार निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

लोक लेखा समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री मोहन मरकाम
4. श्री शैलेश पाण्डेय
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
7. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
8. श्री अजय चन्द्राकर
9. श्री शिवरतन शर्मा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री मोहन मरकाम

2. डॉ. विनय जायसवाल
3. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. श्रीमती संगीता सिन्हा
6. श्री गुलाब कमरो
7. श्री शैलेश पाण्डेय
8. श्री पुन्नूलाल मोहले
9. श्री रजनीश कुमार सिंह

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री मोहन मरकाम
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री कुलदीप जुनेजा
6. श्री राजमन बेंजाम
7. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री नारायण चंदेल

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती देवती कर्मा
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

5. श्री पुरुषोत्तम कंवर
6. श्री रामकुमार यादव
7. श्रीमती संगीता सिन्हा
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी

श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, तदनुसार निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्री भुनेश्वर शोभा राम बघेल
5. श्री मोहित राम
6. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
7. श्री रामकुमार यादव
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
9. श्री डमरूधर पुजारी

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2022-2023 की अवधि

में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूँ :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
3. श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री
4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री मोहम्मद अकबर, विधि मंत्री
6. डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री
7. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
8. डॉ. रमन सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. श्री मनोज सिंह मंडावी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. डॉ. विनय जायसवाल
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री विद्यारतन भसीन

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति-

1. श्री अरूण वोरा
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
7. श्री सौरभ सिंह

श्री अरूण वोरा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति-

1. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2. श्री राम पुकार सिंह ठाकुर
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
6. श्री पुन्नूलाल मोहले
7. श्री रजनीश कुमार सिंह

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री पुरुषोत्तम कंवर
5. श्री शैलेश पाण्डे
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

7. श्री डमरूधर पुजारी

श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री अमितेश शुक्ल
3. श्री अरूण वोरा
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री राजमन बेंजाम
6. डॉ. रमन सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

नियम समिति-

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
5. श्री ननकी राम कंवर

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति-

1. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
2. श्री लखेश्वर बघेल
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. डॉ. के.के. ध्रुव
5. श्री देवेन्द्र यादव
6. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
7. श्री अजय चन्द्राकर

8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री धर्मजीत सिंह

श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति-

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री देवेन्द्र यादव
3. श्री शैलेश पाण्डेय
4. श्रीमती ममता चन्द्राकर
5. श्री रामकुमार यादव
6. श्री रजनीश कुमार सिंह
7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
8. श्रीमती इंदू बंजारे

श्री खेलसाय सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति-

1. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
2. श्री चक्रधर सिंह सिदार
3. श्री विक्रम मंडावी
4. श्री विनय कुमार भगत
5. श्री मोहित राम
6. श्री ननकी राम कंवर
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति-

1. श्री दलेश्वर साहू
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री अनूप नाग

4. श्री गुलाब कमरो
5. श्री अजय चन्द्राकर
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति-

1. श्री किस्मत लाल नंद
2. श्री अनूप नाग
3. श्री राजमन बेंजाम
4. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
5. श्री चंदन कश्यप
6. डॉ. रमन सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

18. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिये वर्ष 2022-23 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री मनोज सिंह मंडावी, उपाध्यक्ष, विधान सभा
3. श्री धरम लाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री मोहन मरकाम
7. श्री अजय चंद्राकर
8. श्री धनेन्द्र साहू
9. श्री लखेश्वर बघेल

10. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
11. श्री कुलदीप जुनेजा
12. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
13. श्री खेलसाय सिंह
14. श्री अरूण वीरा
15. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
16. श्री दलेश्वर साहू
17. श्री शिवरतन शर्मा
18. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
19. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
20. श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

19.सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के तेरहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह सत्र 7 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक आहूत था, किंतु आज सत्र का समापन हो रहा है। विगत 5 से 6 सत्र कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव से प्रभावित रहा, परंतु यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारा यह बजट सत्र कोविड संक्रमण प्रभाव से लगभग मुक्त रहा। ईश्वर से कामना है कि इस स्थिति में और भी सुधार आये। हमारा प्रदेश और देश स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बना रहे।

इस बजट सत्र की अवधि अपेक्षाकृत छोटी रही, परन्तु सभी माननीय सदस्यों ने उपलब्ध सीमित समय का अधिकाधिक सदुपयोग किया और राज्य की समग्र उन्नति से सम्बद्ध प्रत्येक विषयों पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित कार्यों के बारे में संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 10 बैठकों में लगभग 73 घंटे 22 मिनट चर्चा हुई। 109 प्रश्नों पर विधान सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गये। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 12 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 854 एवं अतारांकित प्रश्नों की 828, इस प्रकार कुल 1682 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 439 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 145 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 69 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गईं। इस सत्र में स्थगन की कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें से एक विषय से संबंधित 15 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राह्य किया गया तथा एक विषय से संबंधित 2 सूचनायें शून्यकाल

में परिवर्तित की गई। शून्यकाल की 126 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें 80 सूचनाएं ग्राह्य और 46 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा वर्तमान सत्र में 144 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिनमें 66 ग्राह्य व 78 अग्राह्य रही। 11 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें 6 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 4 संकल्प पर चर्चा हुई एवं 2 व्यपगत हुई। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और चारों विधेयकों पर चर्चा हुई तथा पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 36 मिनट चर्चा हुई। वर्ष 2022-23 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा पर 8 घंटे 2 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 3 घंटे 52 मिनट चर्चा हुई।

जैसा कि आप सभी को विदित है इस सत्र से विधान सभा सचिवालय ने प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन लेने, उनके उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त करने तथा प्रश्नोत्तरी मुद्रण के लिए शासकीय मुद्रणालय भेजने की व्यवस्था भी ऑनलाईन प्रारंभ की है। इस व्यवस्था से न केवल समय एवं ईंधन की बचत होगी बल्कि हजारों घंटे मानवीय श्रम की भी बचत होगी। आप सभी माननीय सदस्यों ने इस व्यवस्था में सहयोग किया और रूचि ली, उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन जमा करने में शासन के सभी विभागों ने भी सहयोग दिया। इस प्रक्रिया में मुख्य सचिव सहित संसदीय कार्य विभाग एवं एन.आई.सी. के अधिकारियों का जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही विधान सभा सचिवालय के जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस ऑनलाईन प्रक्रिया का सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहयोग दिया, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ।

आज इस सभा में वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में पक्ष से माननीय श्री संतराम नेताम एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री अजय चन्द्राकर तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार के लिए श्री यशवंत धोटे, दैनिक नव प्रदेश एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संसदीय पत्रकार के लिये श्री जुल्फिकार अली, हिन्दी खबर कैमरामेन श्री शशिकांत वर्मा, हिन्दी खबर चयनित हुए हैं, की घोषणा हुई है। मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

सत्र समापन के इस अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा जी सहित पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

इस अवसर पर मैं उपाध्यक्ष जी सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्माननीय पत्रकार साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों

के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ। जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री,

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, सदस्य ने भी उद्गार व्यक्त किये।

20. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया।)

(रात्रि 7.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा